

रामजीलाल बनाम बृजमोहन वगैरे

26.7.2017

पत्रावली पेश हुई कार्यालय रिपोर्ट का अबलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायलान दिनांक 23.8.2017 को पेश हो।

नोटिस
1060
28-7

23/8/17 पत्रावली प्राप्त हुई। वकील पक्ष उपास्थित। अप्रार्थी पक्ष बाबजूद वामील उपास्थित नहीं। केतः एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि ख.नं. 626, 688 प्रार्थी के खातेदारी के बजेट फास्ट की धूरी है जिसकी पत्थर गढी प्रार्थी करकर मेंड, डोल डालना चाहता है। इसलिए उक्त शर्त की पत्थर गढी तहसीलदार मंडरापल से कराई जावे। बहस वकील प्रार्थी का मनन किया गया। पत्रावली का अबलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संख्या 2071 से 74 में आराजी ख.नं. 626 व 688 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी में अंकित है। जिसकी पत्थर गढी, सीमांकन कराने का प्रार्थी को एक केतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। नाथ तहसीलदार मंडरापल को 300/- के फीस पर कार्रगर नियुक्त कर आदेश दिए जाते हैं कि आराजी ख.नं. 626, 688 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा ग्राम मंडरापल की पत्थर गढी सीमांकन कर कर मौका रिपोर्ट दि. 27/9। से पूर्व न्यायालय में दिगवावे। फीस कर शर प्रार्थी अडा करे। नाथ तहसीलदार मंडरापल को तहरीर जारी है। पत्रावली वास्ते इन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 27/9/17 को पेश हो।